

अभिनिर्णय आदेश

1. वाद संख्या : 03/2013-14
2. ग्राम : नगईपुर
3. परगना व तहसील : बरौसा, जयसिंहपुर
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.2205 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 232 (टांडा-रायबरेली सेक्शन) के 36.000 कि०मी० से 78.000 कि०मी० चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र है : हां।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना प्रकाशन का दिनांक : अधिसूचना संख्या-क.अ.2348(अ) भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii) नई दिल्ली, दिनांक 02.08.2013
10. धारा 3A की उपधारा (3) के प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक : 1. दैनिक जागरण, दिनांक 23.08.2013
2. इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 23.08.2013
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि : अधिसूचना सं०-क.अ.3467(अ) भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii) नई दिल्ली, दिनांक 22.11.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि : 1. अमर उजाला दिनांक 02.01.2014
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया दिनांक 02.01.2014
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक 25.06.2014

क्रमशः पेज - 2

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	461580.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	-----
योग (रु०)		461580.00
10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)		46158.00
सम्पूर्ण योग (रु०)		507738.00

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु 50774.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना) : रु 8.37 × 40 = 335.00

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि०मी० से 78.000 कि०मी० (टांडा-रायबरेली सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-नगईपुर, परगना बरौसा व तहसील जयसिंहपुर में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का अनुपूरक प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 02.08.2013 तथा दो समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण' एवं 'इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक 23.08.2013 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-नगईपुर के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्रांक 239/आठ-उप०भू०अ०अ० दिनांक 07/10/2013 द्वारा भेजा गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में **0.2205** हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.11.2013 को प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G के अन्तर्गत प्रतिकर से सम्बन्धित दावों को प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों 'अमर उजाला', एवं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', में दिनांक 02.01.2014 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम- नगईपुर, परगना बरौसा व तहसील जयसिंहपुर, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के (36.000 कि०मी० से 78.000 कि०मी० तक) (टांडा - रायबरेली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन बनाने, आदि)

अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि 0.2205 हे० में से 0.2198 हे० निजी कृषिक भूमि एवं 0.0007 हे० गांवसभा की भूमि है। निजी कृषिक भूमि का ही प्रतिकर निर्धारण किया जायेगा, गांवसभा की भूमि 0.0007 हे० के संबंध में अध्याप्ति निकाय द्वारा अलग से पुर्नग्रहण की कार्यवाही करायी जायेगी। अर्जित की जाने वाली भूमि कृषिक है जिसपर खेती की जा रही है। उक्त ग्राम का अभिनिर्णय दिनांक को घोषित किया जा चुका है। छूटे हुए गाटों का अनुपूरक प्रस्ताव का अभिनिर्णय घोषित किया जाना है।

अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 02/08/2013 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक जयसिंहपुर के कार्यालय से श्री सत्य नारायण दुबे, भू० अ० अमीन द्वारा संकलित कराया गया, इस निर्धारित अवधि में कुल 6 विक्रय पत्रों को अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया है।

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। अन्तिम प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व के बैनामों की जाँच उपभूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय सुलतानपुर के अमीन श्री सत्यनारायण द्विवेदी द्वारा उपनिबंधक कार्यालय तहसील जयसिंहपुर में की गयी है। तैयार अनुसूची-2 में उल्लिखित छः विक्रय पत्रों में से क्रमांक 1 व 2 पर अंकित विक्रय पत्र दिनांक 14/12/2010 को निष्पादित बैनामों विक्रेता श्री पारसनाथ पुत्र दसई बहक श्रीमती लखराजी पत्नी रामबहाल एवं श्रीमती लखराजी पत्नी रामबहाल आदि बहक श्रीमती मालती पत्नी कस्तूरी के विक्रय विलेख क्रमशः रू० 30000/- व 50000/- के अनुसार दर प्रति हेक्टेयर 476190/- व 495050/- प्रदर्शित है। क्रमांक 3 पर अंकित बैनामा दिनांक 03/01/2011 विक्रेता रामसुरेमन पुत्र जवाहिर बहक सावनदीन पुत्र हरखाली प्रदर्शित मूल्यांकन रू० 399361/- प्रति हेक्टेयर, क्रमांक 4 पर अंकित बैनामा दिनांक 04/07/2012 विक्रेता पंचम पुत्र अचल आदि बहक मायादेवी पत्नी रामबहादुर प्रति हेक्टेयर मूल्यांकन रू० 800000/-, क्रमांक 5 अंकित बैनामा दिनांक 10/02/2012 विक्रेता पारसनाथ पुत्र दखई बहक रामकेवल शुक्ल पुत्र रामसुमेर दर रू० 476190/- एवं क्रमांक 6 पर अंकित बैनामा दिनांक 12/05/2012 विक्रेता पारसनाथ पुत्र दुखई बहक विमलकुमार पुत्र पारसनाथ दर 795494/- प्रदर्शित है। इन बैनामों में सबसे अधिक क्रमांक 4 पर अंकित बैनामे की बाजार दर रू० 800000/- प्रति हेक्टेयर है, सभी बैनामों कृषिक भूमि से संबंधित हैं, परन्तु इस ग्राम की वर्ष 2013 की स्वीकृत कलेक्टर की मूल्यांकन सूची के अनुसार प्रति हेक्टेयर कृषिक भूमि का मूल्यांकन दर रू० 2100000/- है, जो सबसे ऊँची दर के बैनामे से ढाई गुने से भी अधिक है। इस प्रकार अनुसूची-2 पर अंकित उक्त बैनामों को उपेक्षित करते हुए कृषिकों/भू-स्वामियों के व्यापक हित को देखते हुए कलेक्टर दर पर प्रतिकर निर्धारण सर्वथा उचित है।

अतः कृषिकों/ भू-स्वामियों के व्यापक हित को देखते हुए जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा उक्त गाँव में निर्धारित दर रू० 2100000/- प्रति हेक्टेयर अर्जित भूमि की दर निर्धारण हेतु उपयुक्त पाई जाती है।

निर्धारित दर के आधार पर अर्जित कृषिक भूमि 0.2198 हे० की प्रगणना निम्नवत् है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	461580.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	-----
योग (रु०)		461580.00
10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु०)		46158.00
सम्पूर्ण योग (रु०)		507738.00

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर 0.2198 हे० अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० 461580.00 होती है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रु० 46158.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० **507738.00** (पांच लाख सात हजार सात सौ अड़तिस रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय- कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु० **507738.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु० **50774.00** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू राजस्व-800 अन्य प्राप्तियाँ 007-भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाइयों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य - अर्जित भूमि के भू-राजस्व रु० **8.37** का 40 गुना रु० 335.00 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर 0.2198 हे० भूमि का अभिनिर्णय रु० **507738.00** (पांच लाख सात हजार सात सौ अड़तिस रुपये मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक 25.06.2014 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(वी० के० दोहरे)
सक्षम प्राधिकारी/
मुख्य राजस्व अधिकारी
जनपद-सुलतानपुर